



राष्ट्रीय महिला आयोग

एक अच्छा **POSH Act** (यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण) लागू करना

निरंतर प्रतिबद्धता

जो एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने के लिए आवश्यक है।

✓ POSH प्रशिक्षण प्रोत्साहित करता है:

- सुलभ POSH नीति लागू होना
- प्रशिक्षित, आंतरिक समिति
- सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वार्षिक POSH प्रशिक्षण
- गोपनीयता
- गोपनीय एवं सुलभ शिकायत निवारण माध्यम
- त्वरित एवं निष्पक्ष जांच
- कार्यस्थल पर संवेदनशीलता और लैंगिक समानता
- खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करना
- यौन उत्पीड़न की सक्रिय रोकथाम
- POSH प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा और सुधार

सुरक्षित कार्यस्थल समावेशन और सशक्त नेतृत्व की कुंजी है।

इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करके संगठन ऐसे कार्यस्थल बनाते हैं जहाँ सुरक्षा मानक है, समावेशन पनपता है और विविध प्रतिभाएँ फलती-फूलती हैं।

अधिक जानकारी के लिए:

 www.ncw.gov.in

 7827170170





NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

A Good **POSH Act (Protection of women from Sexual Harassment)** Implementation is a **ONGOING COMMITMENT** to build a safe and respectful workplace.

✓ **POSH TRAINING ENCOURAGES**

- Accessible POSH policy in place
- Trained, Internal Committee
- Mandatory annual POSH training for all employees
- Privacy
- Confidential, accessible reporting channels
- Prompt, Fair Investigations
- Workplace Sensitization, Gender Equality.
- Encourages speaking up
- Proactively prevent harassment
- Regularly review and improve POSH practices

A safe workplace is the key to inclusion and strong leadership.

By implementing these effectively, organisations create workplaces where safety is standard, inclusion thrives, and diverse talent flourishes.

MORE INFORMATION

 www.ncw.gov.in

 7827170170





राष्ट्रीय महिला आयोग

क्या आप जानते हैं?

भारत में POSH कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को

यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता है।

हर संस्था में आंतरिक समिति (IC) बनाना अनिवार्य है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और दंड का प्रावधान है।



NCWIndia



NCWIndia



NCWIndia



NCWIndia



www.ncw.gov.in